प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.10.2024

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा घर में मैड (MAID) का काम करने वाली शातिर महिला चोर व उसके पति को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लगभग 9.5 लाख रुपये की कीमत की पीली व सफेद धातू की ज्वैलरी व 60,100/- रूपये बरामद ।

दिनांक 15-10-24 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी ने सूचना दी कि दिनांक 12-10-24 को जब मेरी पत्नी ने गहने पहनने के लिए घर पर रखी अलमारी खोली तो हमारी अलमारी में से सभी आभुषण जिनमें दो गले के सैट, चार कंगन, दो चेन, दो अंगूठी, चांदी के बारह सिक्के, पायल, एक हीरे की अंगूठी मौजूद नही थे, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी काम वाली ने हमारा काम छोड़ा था, जिसकी 15 दिन की सैलरी भी बाकि थी जो बार बार फोन करने पर भी लेने नही आ रही है, उसका पति भी हमें फोन पर धमकी दे रहा है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर मैड व उसके पति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट व सर्विलांस की मदद से दिनांक 17-10-24 को मुखबिर की सूचना पर हनुमान चौक राजनगर एक्सटेंशन के पास से, महिला अभियुक्ता व उसके पति को चोरी किये गये सामान की शत प्रतिशत बरामदगी करते हुए, गिरफ्तार किया गया अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता--

1.अजय पुत्र मुकेश निवासी भट्टा नं0 05 रोड गढी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम नंगला शेरपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

2.मौनी पत्नी अजय निवासी भट्टा नं0 05 रोड गढी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम नंगला शेरपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार की गयी अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि मैं उक्त फ्लैट में करीब 01 वर्ष से मेड का कार्य करती थी। फ्लैट की एक चाबी मेरे पास रहती थी। घर के मालिक व मालकिन दोनो पति पत्नी काम पर चले जाते थे व एक बच्चा जो कि स्कूल चला जाता था। मालिक व मालकिन का मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास था मुझे मालकीन के सोने चांदी आदि सामान रखने के लॉकर व चाबी का पता था। करीब 03 माह पूर्व से मैने अपने पति अजय के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सारी सोने व चांदी की चीजे धीरे धीरे चोरी कर अपने घर में छिपा ली थी। फिर कुछ समय बाद मैने काम छोड दिया था तथा धीरे-धीरे इसमें हमने कुछ सामान बेच दिया था तथा कुछ सामान बेचने जा रहे थे।

बरामदगी का विवरण-

1) 9.5 लाख रुपये कीमत की पीली व सफेद धातू
2) 60100/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त (पति) गिरफ्तार।

दिनांक 13.08.2024 को थाना मसूरी पर वादी आदिल पुत्र साबिर निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई जिसमें आरोपित किया गया कि अभियुक्त चाँद ने मेरी बहन को जान से मारने की नियत से उसके सिर में कोई चीज मारकर गंभीर रूप से घायल कर देना। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। दिनांक 16.10.2024 को इलाज के दौरान वादी की बहन की मृत्यु हो जाना जिसमें मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.10.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चाँद (पति) पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद को कुशलिया ईस्टर्न पैरीफेरल अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं डासना का मूल निवासी हूँ तथा वर्तमान में समय करीब एक साल से मैं अपनी पत्नी चांदनी व अपने बच्चों के साथ ग्राम कुशलिया में रह रहा था। मेरी शादी वर्ष 2006 में चांदनी पुत्री साबिर निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के साथ हुई थी तथा मेरे कुल 05 बच्चे हैं जिसमें दो लडके व तीन लडकियां हैं। मेरी पत्नी के साथ पूर्व से ही पारिवारिक मनमुटाव के कारण काफी झगडे होते रहते थे तथा मुझे शक था कि मेरी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती है। दिनांक 13.8.2024 को सुबह 05 बजे के करीब पुनः मेरी पत्नी के साथ झगडा हुआ था जिससे मैं काफी गुस्से में आ गया था और चारपाई के पास जमीन पर रखे एक नुकीले पत्थर को लेकर मैंने अपनी पत्नी चांदनी के सिर में मार दिया था जिससे मेरी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी तथा वह नीचे जमीन पर गिर पडी थी उसके बाद मैं वहां से भाग गया था।। जिस कारण मैं पुलिस के डर से छुपकर रह रहा था। बाद में मुझे पता चला कि चोट की वजह से मेरी पत्नी मर गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

चाँद पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैट्रियां बरामद।

दिनांक 17.10.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी व वादी के 03 पड़ोसियों की गाडी की बैट्रियां चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त वसीम पुत्र फारुख निवासी गली न0 4 बृजपुरी की पुलिया थाना दयालपुर दिल्ली को कृष्णा चौकी डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से गाडियों से चोरी की गई 04 बैट्रीयां बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मौका पाकर खडी गाडियों से बैट्रीयों को चोरी कर ले जाता हूँ और उन बैट्रीयों को बेचकर अपना जेब खर्च चलाता हूँ। कल रात भी मैंने डीएलएफ क्षेत्र में खडी 04 गाडियों से बैट्रियाँ चोरी की थी और आज मैं इन्हे बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

वसीम पुत्र फारुख निवासी गली न0 4 बृजपुरी की पुलिया थाना दयालपुर दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 04 बैट्रीयां बरामद व 01 स्कूटी सीज की गई।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 18.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त आरिस उर्फ आरिफ पुत्र अकबर निवासी राशिद गेट निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मौका पाकर वाहनों की चोरी कर लेता हूँ तथा उनके पुर्जों को अलग अलग करके चलते फिरते कबाडियों को बेच देता हूँ। यह बाइक मैनें कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे लेकर अन्य चोरी की घटना करने के लिये निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आरिस उर्फ आरिफ पुत्र अकबर निवासी राशिद गेट निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से हमला करने व सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्तों 1. अशोक पुत्र ओमप्रकाश 2. राहुल पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम रोहताश गढी थाना भोजपुर गाजियाबाद व 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पवन पुत्र संजय कुमार निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को निडौरी अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 16.10.2024 को मैं तथा मेरे साथी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे थे तभी गश्त कर रही पुलिस द्वारा हम लोगों को वहां से जाने के लिये कहा गया जिस पर हम लोग नाराज हो गये और पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

पवन पुत्र संजय कुमार निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 27 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गईं।

आज दिनांक 18.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 02 अभियुक्तों 1.मोमीन पुत्र इरशाद निवासी वार्ड न0-06,भडभूजा वाला मोहल्ला, नियर जामा मस्जिद के पास कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. वाहिद पुत्र अली मोहम्मद निवासी मुर्गी फार्म मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.मोमीन पुत्र इरशाद निवासी वार्ड न0-06,भडभूजा वाला मोहल्ला, नियर जामा मस्जिद के पास कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

2.वाहिद पुत्र अली मोहम्मद निवासी मुर्गी फार्म मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा झारखण्ड राज्य से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 55 लाख रुपए कीमत की 2.100 किलोग्राम अफीम सहित 02 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 18.10.2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा झारखण्ड राज्य के चतरा जिले से गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में डिमाण्ड के अनुसार तस्करी करने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्करों को थाना मुरादनगर क्षेत्र के प्रीत विहार बम्बा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। गिरफ्तार अफीम तस्करों से 2.100 किलोग्राम अफीम जिसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 55 लाख रूपये है बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ पर अभियुक्त संजय भूईया ने बताया कि वह झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला है और वह पढा लिखा नही है, पहले वह अपने गांव के पास ही एक होटल पर खाने बनाने का काम करता था लेकिन इसमें उसको ज्यादा पैसे नही मिलते थे फिर पैसे की अधिक आवश्यकता होने के कारण वह जिला चतरा के ही रहने वाले अफीम तस्कर प्रकाश के सम्पर्क मे आया जो अफीम की तस्करी झारखण्ड से बाहर भारत के कई राज्यों मे करता था। संजय भूईया ने भी अफीम तस्कर प्रकाश से माल लेकर अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे आकर करने लगा। अभियुक्त रामचन्द्र भूईया ने बताया कि वह चतरा जिला का रहने वाला हैं और 10 वी पास हैं। पहले वह अपने गांव में ही सरिया शटरिंग की दिहाडी मजदूरी का काम करता था लेकिन इसमें उसको ज्यादा पैसे नही मिलते थे, इसी बीच वह अपने दोस्त के माध्यम से अफीम तस्कर प्रकाश के सम्पर्क मे आया और अफीम की तस्करी झारखण्ड से बरेली, गाजियाबाद, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार करने लगा। इस काम में इन दोनो को प्रत्येक चक्कर के 20 हजार रूपये मिलते थे जिससे इन दोनो को अधिक फायदा होने लगा। पूछताछ पर दोनो ने यह भी बताया कि जब इस काम में ज्यादा फायदा होने लगा तो इन दोनो ने मिलकर प्रकाश से हटकर अपने माल की तस्करी शुरू कर दी जिसमें और अधिक फायदा होने लगा। ये दोनो अफीम तस्करी के काम को करीब 01 वर्ष से अधिक समय से कर रहे है और कई बार माल विभिन्न राज्यों मे पार्टियों को पहुँचा भी चुके है। पकडे गये दोनो अभियुक्तों ने बताया कि उनको अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर ये दोनो बस व ट्रेनों से बदल-बदल कर आते हैं, जिसको माल देना होता है वो जगह ये लोग चलने से पहले ही तय कर लेते हैं कि माल कहाँ और कितने बजे देना है। जब ये दोनो माल लेकर चलते हैं तो किसी से सम्पर्क नही करते जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें, इस बार माल लेने वाले ने इन्हे गाजियाबाद में बुलाया था, माल डिलीवरी करने से पहले ही पकडे गये। मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, ये दोनो अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्त संजय भूईया व रामचन्द्र भूईया दोनो शातिर अन्तर्राज्यीय अफीम तस्कर है जो पूर्व में इसी वर्ष माह मार्च में क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा अफीम की तस्करी में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है। अभियुक्तगण से पूछताछ पर मादक पदार्थो के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-.

1.संजय भूईया पुत्र बूटा भूईया निवासी ग्राम असडिया थाना असडिया जनपद-चतरा झारखण्ड उम्र करीब 36 वर्ष

2.रामचन्द्र भूईया पुत्र केदार निवासी ग्राम असडिया थाना असडिया जनपद-चतरा झारखण्ड उम्र करीब 33 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>:-

अफीम – 2.100 किलोग्राम कीमत लगभग 55 लाख रूपये

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.अभियुक्त संजय के विरूद्ध गाजियाबाद मे 02 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध गाजियाबाद मे 02 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम:-</u>

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस टीम